न्यायालयः— अपर सत्र न्यायाधीश, पंचम, दानापुर

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या—380/2026

1. अनोज बिन उर्फ अनोज कु0 पिता रामबाबू बिन उर्फ रामबाबू प्र0 साकिन— समस्थु स्थान बिहटा,थाना—बिहटा,जिला—पटना।

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या—416/2026

1. सनोज बिन उर्फ सनोज कुमार पिता रामबाबू बिन उर्फ रामबाबू प्र0 साकिन— समस्थु स्थान बिहटा,थाना—बिहटा,जिला—पटना।

—————— अभियुक्तगण।

आवेदक की ओर से— श्री अजय कुमार, अधिवक्ता।
अभियोजन की ओर से —श्री रामकेश्वर प्रसाद, लोक अभियोजक।

आदेश

17.03.2026 बिहटा थाना कांड संख्या—1267/2018 धारा—341,323,504,353,427,506/34 भा0द0वि0 से संबंधित है, के याची अभियुक्त की ओर से यह अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया है।

इस जमानत आवेदन पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि इस अग्रिम जमानत आवेदन के पूर्व ना ही सत्र न्यायालय और ना ही माननीय उच्च न्यायालय में जमानत आवेदन दाखिल किया गया है। आवेदकगण के विरूद्ध बिहटा थाना कांड संख्या—1135/2022 में भी वांछित है, के अलावे कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक निर्दोष है, इसने कोई अपराध नहीं किया है। अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत पर छोड़ने की प्रार्थना करते हैं।

विद्वान अपर लोक अभियोजक अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते हैं।

संक्षेप में सूचक का कथन है कि दिनांक—08.11.2018 को मैं अपने डयूटी पर बिहटा ब्लॉक में तैनात थे, से बाहर निकले थे, तभी रास्ते में समय करीब 1.30 बजे दिन में अनुज बिन एवं उसका छोटा भाई ने हमें पकड़ लिया और गाली—गलौज करने लगा, गाली देने का वजह पूछा तो लप्पड़—थप्पड़ एवं डंडा से मारपीट करने लगा, जिससे कई जगह चोटें आयी और मेरा वर्दी भी फाड़ दिया तथा धमकी दिया कि केस करोगे तो और मारेंगे। झगड़ा का कारण है कि सी0ओ0 साहेब के गार्ड से झगड़ा किया था, जिसे मैंने पुलिस को पूछने पर घर बताया था, उसी का बदला लेने के लिये मारपीट किया है। उचित कार्रवाई करने की कृपा की जाए।

सुना। मूल अभिलेख व कांड दैनिकी का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि धारा—353 भा0द0वि0 को छोड़कर शेष सभी धारायें जमानतीय है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अभियुक्त द्वारा भविष्य में इसतरह का अपराध नहीं करने का अंडरटेकिंग दाखिल करने व एक–एक जमानतदार निकट संबंधी होने पर आदेश की तिथि से 30 दिनों के अंदर निम्न न्यायालय में आत्मसमर्पण / गिरफ्तार होने पर धारा–438(2) द.प्र.सं. में वर्णित शर्तों के अधीन मो0 10,000 / –रू0 के दो प्रतिभू के बंधपत्र दाखिल करने पर अग्रिम जमानत पर छोड़े जाने का आदेश दिया जाता है। कार्यालय आदेश की प्रति विद्वान अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित करें

लेखापित,

Sd/-

अ0स0न्याया0,पंचम,दानापुर।